NewsforSpecialTeacher.in

NfSt

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

कोलार रोड, भोपाल–462016, दूरभाष –0755–2492095
(मध्यप्रदेश विधानसभा एक्ट 1991 द्वारा स्थापित एवं आर.सी.आई. से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम)

NAAC A

एम.एड. (विशेष शिक्षा–दूरस्थ शिक्षा) VI/ID/HI/LD 2.5 वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2025–28

प्रवेश सूचना

1. कार्यक्रम	**M.Ed. (Special Education-Distance Education) VI/ID/HI/LD**
2. स्वीकृत सीट **समयावधि**	**100** **न्यूनतम 02 वर्ष 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष**
3. **पात्रता**	<u>अर्हता–</u>**(a)** वह अभ्यर्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित दिव्यांगता क्षेत्र (दृष्टि बाधित (VI), श्रवण बाधित (HI), बौद्धिक दिव्यांगता (ID), अधिगम अक्षमता (LD), में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो या किसी भी संबंद्ध विश्वविद्यालय और/या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय के तहत शिक्षण विभाग से RCI पंजीकरण के साथ B.Ed. (विशेष शिक्षा) के समकक्ष मानी जाने वाली कोई अन्य डिग्री उत्तीर्ण की हो। **(b)** वह अभ्यर्थी जिसने बी.एड. सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित दिव्यांगता क्षेत्र में विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (D.Ed. Spl.Edu.- VI/HI/ID/LD) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो और प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50% अंकों के सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **(c)** विशेष शिक्षा में पी.जी.पी.डी. (VI/HI/ID/LD) डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी (शैक्षणिक सत्र 2014–15 तक) **(d)** बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम, बी.एड.(विशेष शिक्षा) (4 वर्ष एकीकृत पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण छात्र। **(e)** उपरोक्त के साथ अभ्यर्थी के पास वैध व सक्रिय आर.सी.आई. पंजीकरण होना चाहिए।
4. **प्रवेश के** मानदण्ड	प्रवेश परीक्षा (50 अंक) में अर्जित प्राप्तांक (जिसमें 25 प्रश्न शिक्षण योग्यता एवं 25 प्रश्न दिव्यांगता विशेषज्ञता पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेगें) तथा **प्रवेश परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी)**
5 प्रवेश परीक्षा **तिथि एवं समय**	**Computer Based Test With SD100 (Without Isolation)** ऑनलाईन केन्द्रों पर दिनाँक 10.06.2025 को **प्रातः 09.00 से 10.30** बजे तक आयोजित होगी। **mponline** पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी।
6.प्रवेश सूची	प्रवेश हेतु पात्र सभी अभ्यार्थियों को **एस.एम.एस./एमपी ऑनलाइन** के माध्यम से सूचित किया जावेगा **तथा** प्रावीण्य सूची वि.वि. की बेवसाइट <u>www.mpbou.edu.in</u> पर भी उपलब्ध होगी।
7.अभिलेख सत्यापन	परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउन्सलिंग के लिए ऑनलाईन पंजीयन करना होगा। अध्ययन केन्द्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा तदुपरांत ऑनलाईन काउन्सलिंग के माध्यम से अध्ययन केन्द्र आवंटित किये जायेगें। प्रवेश उपरांत अध्ययन केन्द्र परिवर्तित नही होगा।
8.सम्पर्क कार्यक्रम	सम्पर्क कार्यक्रम का आयोजन प्रवेश काउंसलिंग उपरांत मध्यप्रदेश में स्थित विभिन्न अध्ययन केन्द्रों पर किया जायेगा।
9.पाठ्यक्रम शुल्क	एम.एड. (विशेष शिक्षा) हेतु पाठ्यक्रम शुल्क **रु. 55000/–(रू. पचपन हजार मात्र) एवं पंजीयन शुल्क रु. 2000/– (दो हजार मात्र)** निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउन्सलिंग के समय **ऑनलाइन के माध्यम से कुलसचिव म.प्र.भोज मुक्त वि.वि., भोपाल को देय होगी ।** प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नही की जायेगी।
10.आवेदन **का** तरीका **एवं** माध्यम	आवेदन पत्र एवं विवरण **mponline** की Website **https://mpbou.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है । इच्छुक पात्र आवेदक एमपी ऑनलाईन द्वारा निर्धारित नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क + पोर्टल फीस <u>(जो कि वापस नही होगा)</u> जमा कर दिनाँक 05 **अप्रैल 2025 से 05 मई 2025 तक ऑनलाईन** आवेदन **कर सकते है।** आवेदन केवल **mponline** के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए **ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता/योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारियॉ पूर्णतः सत्य हैं जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज हैं।** दर्ज जानकारी में किसी भी स्तर पर असत्यता पाये जाने पर विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा एवं शुल्क वापस नहीं होगी। **ऑनलाइन फार्म की प्रति (प्रिंट) काउन्सलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी,** प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेवसाइट <u>www.mpbou.edu.in</u> पर भी उपलब्ध है।

नोट–
1. एम.एड. (विशेष शिक्षा) ऑनलाईन प्रवेश परीक्षा केन्द्र की जानकारी एम. पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर परीक्षा के 03 दिवस पूर्व प्राप्त हो सकेगी।
2. प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नही है।
4. प्रवेश उपरांत अध्ययन केन्द्र परिवर्तित नहीं होगा।

कुलसचिव